प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 28.04.2026

- **थाना गजनेर पुलिस एंव स्पेशल टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए लूट की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्तगण के कब्जे से लूटे गये रुपयों में से 11,400 रूपये व अन्य सामान सहित घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचे व जिंदा कारतूस बरामद।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना गजनेर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए, दिनांक 26/04/2026 को वादी श्री राजबल्लभ परिहार पुत्र मनीराम सिंह परिहार निवासी शाहजहाँपुर निनाया थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात द्वारा ग्राम जिगनी का पुरवा स्थित अपनी दुकान को बन्द करके मोटर साइकिल से घर जाते समय रास्ते में रायपुर गजनेर रोड से गाँव शाहजहाँपुर निनाया की तरफ मुडते ही सामने खडी काले रंग की बुलेट पर सवार तीन अज्ञात बदमाशों द्वारा गिराकर धारदार चाकू से हमला कर ज्वैलरी का बैग छीनने का प्रयास करने तथा जेब से करीब 20,000/-रुपये व अन्य सामान लूट लेने के सम्बन्ध में दी गयी तहरीर के आधार पर थाना गजनेर पर मु0अ0सं0 99/2026 धारा 309(6) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। जिसके सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक महोदया द्वारा थाना गजनेर पुलिस, सर्विलांस एवं स्वॉट टीम को संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए घटना के शीघ्र अनावरण करने हेतु निर्देशित किया गया था। संयुक्त पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध बदमाशों एवं बुलेट मोटर साइकिल के सम्बन्ध में कई स्थानों से सीसीटीवी फुटेज संकलित किया गया तथा संदिग्ध अपराधियों के मोबाइल नम्बरों की लोकेशन का विश्लेषण किया गया। इसी क्रम में थाना गजनेर पुलिस द्वारा सरवन खेड़ा गंगरौली मार्ग पर चेकिंग के दौरान मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर 03 अभियुक्तों 1. राजरोशन पुत्र दिनेश प्रसाद निवासी मसवानपुर सिलेण्डर चौराहे के पास थाना रावतपुर कानपुर नगर हाल पता मोतिहारी थाना हर्षीपुर जिला पूर्वीचम्पारण, बिहार, 2. आकाश कोरी पुत्र शेर बहादुर कोरी निवासी ग्राम जोरावरपुर थाना शिवली जनपद कानपुर देहात, 3. कुलदीप कोरी पुत्र रामअवतार निवासी जिगनीकापुरवा थाना शिवली जनपद कानपुर देहात को गिरफ्तार किया गया। जिनसे लूटे गये रुपयों में से ₹11400/- व दो देशी तमंचे एंव 04 कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त काले रंग की बुलेट मोटर साइकिल भी बरामद हुई। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया जा रहा है।

पूछताछ- गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि कुलदीप कोरी की मुखबिरी व सूचना के आधार पर राजरोशन, आकाश कोरी एवं श्याम कोरी ने घटना को अंजाम दिया था। उस दिन कुलदीप उपरोक्त सीडी डीलक्स मोटर साइकिल से व्यापारी के दुकान बन्द करके अपने गाँव की तरफ जाने की सूचना अपने साथियों को मोबाइल के माध्यम से दिया था।

अभियुक्तगण से पूछताछ के आधार पर प्रकाश में आये वांछित अभियुक्त श्याम कोरी पुत्र राजनारायन निवासी चैनापुर थाना रेउना जनपद कानपुर नगर की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे है।

घटना के सफल अनावरण एवं मुल्जिमों की गिरफ्तारी तथा बरामदगी के सम्बन्ध में पुलिस टीम के उत्साहवर्धन हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय कानपुर देहात द्वारा ₹10000/- नगद धनराशि से पुरष्कृत किये जाने की घोषणा की गयी है।

<u>गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम-पता-</u>

1. राजरोशन पुत्र दिनेश प्रसाद निवासी मसवानपुर सिलेण्डर चौराहे के पास थाना रावतपुर कानपुर नगर हाल पता मोतिहारी थाना हर्षीपुर जिला पूर्वीचम्पारण, बिहार।
2. आकाश कोरी पुत्र शेर बहादुर कोरी निवासी ग्राम जोरावरपुर थाना शिवली जनपद कानपुर देहात।
3. कुलदीप कोरी पुत्र रामअवतार निवासी ग्राम जिगनीकापुरवा थाना शिवली जनपद कानपुर देहात।

<u>अभियुक्तगण राजरोशन व कुलदीप कोरी का आपराधिक इतिहास-</u>

1. मु0अ0सं0 99/2026 धारा 309(6) बीएनएस थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात,

<u>अभियुक्त आकाश कोरी का आपराधिक इतिहास-</u>

1. मु0अ0सं0 99/2026 धारा 309(6) बीएनएस थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात,
2. मु0अ0सं0 245/2021 धारा 363 भादवि0 थाना शिवली जनपद कानपुर देहात,

<u>बरामदगी-</u>

- घटना में प्रयुक्त काले रंग की बुलेट मोटर साइकिल नम्बर UP78GA6949
- लूट की घटना से प्राप्त ₹ 11,400/-
- वादी का मोबाइल फोन एवं कार्ड होल्डर
- अभियुक्त आकाश कोरी उपरोक्त से 01 देशी तमंचा 315 बोर एवं 02 जिन्दा कारतूस,
- अभियुक्त राजरोशन उपरोक्त से 01 देशी तमंचा 12 बोर एवं 02 जिंदा कारतूस,
- 03 अन्य मोबाइल फोन,

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम-</u>

थाना गजनेर पुलिस, सर्विलांश टीम व स्पेशल टीम ।